

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-23/2024-1144

व०प०, राँची, दिनांक- 25/3/25

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
मुख्यालय, हरमू चौक, राँची-834002.

By email
To upload on
Parivesh

विषय :- चतरा जिलान्तर्गत NH-99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल-60.0849 हे० वनभूमि
अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्र संख्या-FP/JH/ROAD/146786/2021/556 दिनांक-06.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-233 दिनांक-12.03.2025 से प्राप्त
निराकरण प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जलज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-23/2024-1144

व०प०, राँची, दिनांक- 25/3/25

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण
भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-23/2024-1144

व०प०, राँची, दिनांक- 25/3/25

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी
निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/Executive Engineer, NH Division, Hazaribagh,
South of PTC Ground Hazaribagh-825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 233 दिनांक:- 12/3/25

सेवा में,

सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- चतरा जिला अन्तर्गत एन0एच0-99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल-64.0849 हे0
वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Road/146786/2021/556) के संबंध में।

- प्रसंग :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024
 2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 377 दिनांक 28.02.2025

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र द्वारा 09 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 377 दिनांक 28.02.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार भारत सरकार, (क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् प्रतिवेदित है:-

क्र0सं0	पृच्छा	निराकरण
I	The total area proposed for diversion mentioned in online part-I and part-II is 64.0849ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & cf AS 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत पथ निर्माण हेतु डी0पी0आर0 को भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रति अपलोड किया गया है। (Annexure-D) वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना में 04 हे0 वनभूमि जहाँ गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई हैं, को अपयोजन की स्वीकृति के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी का मतव्य है कि प्रयोक्ता अभिकरण समय रहते डी0पी0आर0 को संशोधित करने एवं प्रस्तावित गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ को गैर वनभूमि पर स्थानान्तरित करने का प्रयास करेगी।
II	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	इस पृच्छा सं0 II एवं III के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि के न्यूनतम उपयोग के लिए दो वैकल्पिक संरेखणों को दर्शाया गया है जिसमें प्रस्तावित संरेखण 1 एवं 2 घाटी वाले हिस्से से होकर गुजरता है इसलिए तकनीकी रूप से संरेखण 1
III	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is	

सचिव कोषांग

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं0 1355

17 MAR 2025

झारखण्ड, राँची

44

	involved leaving few fragmental part discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore the alignment must be shifted to save fragmentation and loss of forest thereafter.	नहीं है। इसके आलावा कुछ अन्य परियोजनाओं लिए भूमि अधिग्रहित की गई है जहाँ संरक्षण 1 एवं 2 गुजरता है। भारत सरकार, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्रांक—RW/Ranchi/AP-01/2020-21 दिनांक 16.03.2022 द्वारा संरक्षण का स्वीकृति पत्र के साथ अपलोड किया गया है। (Annexure-D)																																				
IV	Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.	परियोजना में प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या 4149 है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों का विस्तृत प्रतिवेदन Form-A Part-II की Para-4(ii) में अंकित किया गया है। सत्यापित वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (Annexure-IV)																																				
V	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit संलग्न किया गया है। (अनु0-01)																																				
VI	Undertaking/ Comments of User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures.	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures हेतु बचनवद्धता समर्पित किया गया है। (Annexure- B & C)																																				
VII	The details (PF & JJ LAND) of kml and Geo-referenced pdf map are mismatched. Therefore, it needs to be corrected.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस पृच्छा का अनुपालन कर दिया गया है। (DGPS Map, Annexure-E)																																				
VIII	CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on portal.	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दुगुने वनभूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के दो गुणे क्षतिपूरक वनरोपण हेतु के विरुद्ध कुल 130 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है। जो निम्नवत् है:- <table><tr><th>Sl. NO</th><th>Name of PF/RF</th><th>Range</th><th>Thana No.</th><th>Plot No.</th><th>Area (ha)</th></tr><tr><td>1</td><td>Karma</td><td>Lowalong</td><td>252</td><td>735,1117, 1118,1120</td><td>30.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Karma</td><td>Lowalong</td><td>252</td><td>2049,2050, 2051</td><td>23.00</td></tr><tr><td>3</td><td>Manjhauri</td><td>Lowalong</td><td>251</td><td>1.2</td><td>27.00</td></tr><tr><td>4</td><td>Manjhauri</td><td>Lowalong</td><td>261</td><td>2451,3765, 4486(P)</td><td>50.00</td></tr><tr><td colspan="5">Total:-</td><td>130.00</td></tr></table> प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित अवकृष्ट वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। (Annexure-III,V,VI,VII & CD)	Sl. NO	Name of PF/RF	Range	Thana No.	Plot No.	Area (ha)	1	Karma	Lowalong	252	735,1117, 1118,1120	30.00	2	Karma	Lowalong	252	2049,2050, 2051	23.00	3	Manjhauri	Lowalong	251	1.2	27.00	4	Manjhauri	Lowalong	261	2451,3765, 4486(P)	50.00	Total:-					130.00
Sl. NO	Name of PF/RF	Range	Thana No.	Plot No.	Area (ha)																																	
1	Karma	Lowalong	252	735,1117, 1118,1120	30.00																																	
2	Karma	Lowalong	252	2049,2050, 2051	23.00																																	
3	Manjhauri	Lowalong	251	1.2	27.00																																	
4	Manjhauri	Lowalong	261	2451,3765, 4486(P)	50.00																																	
Total:-					130.00																																	
IX	Encroachment, both agricultural & residential has been observed at place in	इस पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी,																																				

		वनभूमि को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त अतिक्रमण के रूप में दिखाई देने वाले कुछ भाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दिये गये वन पट्टे हैं। इसके अतिरिक्त वनभूमि पर किये गये शेष अतिक्रमणों को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ हटा दिया जायेगा (अनुलग्नक-1)।
--	--	---

अतः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना में आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

निराकरण प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Barra
12/3/25